



उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 20400520220682

ग्राम क्रमांक : 204005 ग्राम का नाम / परगना : मिर्जापुर(बहरियाबाद) तहसील : सैदपुर जनपद : गाजीपुर फसली वर्ष : 1424-1429 (01 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2022)
भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भूमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

01416	रामा / रामधारी / नि. ग्राम स्था० शिवपूजन / रामधारी / नि. ग्राम स्था० अशोक कुमार / रामधारी / नि. ग्राम स्था० अनिल कुमार / रामधारी / नि. ग्राम स्था० राजधारी सिंह स्मारक / महाविद्यालय द्वारा प्रबन्धक / रामा पुत्र राजधारी सिंह नि०स्था०	1418फ० 1418फ० 1418फ० 1418फ० 1418फ०	1589 2402 2589 4044 4235	0.5690 0.8090 2.7370 0.0900 0.7360		1418फ० आदेशानुसार श्रीमान च०अ०सैदपुर वाद सं० 213 धारा 42 प्रबन्धक रामधारी सिंह स्मारक महाविद्यालय मिर्जापुर बनाम शिवपूजन आदि ता०फ० 16.3.11 के अनुपालन में ग्राम मिर्जापुर के आकार पत्र 45 के खाता सं० 1325 की नयी गाटा सं० 2589/4.10.0 जानिव दक्षिण से विक्रेता गण रामा, शिवपूजन, अशोक कुमार, अनिल कुमार पु०ग० राजधारी नि०मिर्जापुर का नाम जरिये पंजीकृत बैनामा सं० 2872 दिनांक 14.10.09 के आधार पर खारिज होकर केत राजधारी सिंह स्मारक महाविद्यालय द्वारा प्रबन्धक रामा पुत्र राजधारी सिंह नि०मिर्जापुर का नाम बतौर सं०भू०दर्ज हो। ह०ले० 22.7.11	आदेश श्रीमान शा०प्र०PNBशा०सैदपुर /तह०सैदपुर 23.12.2021को आदेश हुआ कि आ०न०01589/0.5690व 2402/0.8090व 2589/1.5990व 4044/0.0900व 4235/0.7360योगऽगाटा 2.8030हे०का 1/4यानि 0.950हे०के खातेदार अशोक कुमार पुत्र रामधारी की उक्त भूमि बैंक के पक्ष में बंधक है।ह०अ०र०का०023.12.2021धारा विविध
-------	--	--	--------------------------------------	--	--	---	--



वाढ सं० १३/१८०/३०.७.११ चा-मोदीदपुर
रामा बनाम अशोक आदि आदेश हुआ कि
आदेश चा-मो०२.७.११ में अधिक संशोधन
करले हुए आकार पत्र ४५ के खाता सं०
१३२५ की नई गाटा सं० २५४९मि० रकबा
४-१०-०जनिब दक्षिण राजधारी सिंह
स्वारक महाविद्यालय मिर्जापुर द्वारा
प्रबन्धक रामा पुत्र राजधारी नि:मिर्जापुर का
नाम



खारिज हो। खाते से शेष आराजी, रामा, शिवपूजन, अशोक कुमार, अनिल कुमार पु०ग०राजधारी नि०मिर्जापुर का नमा बदस्तूर दर्ज हो। ह०ले० 16.9.11

आदेश श्रीमान च०अ० सेदपुर वादसं०89/14.11.11 रामा बनाम सरकार में आदेश हुआ कि आदेश उपसंचालक चकबन्दी सत्रदभ सं०11० धारा 48 रामा बनाम हरिवंश ता०फै० 19.08.11 के अनुपालन में अनुरेखक दिनांक 09.11.11 के अनुपालन में ग्राम मिर्जापुर के अन्तिम भूचित्र के नई गाटासं०2589 व 2559 का भूचित्र क्रमश

0.1370 व .0130 छोटा बना है तथा गाटासं० 2590 का भूचित्र 0.1500 बड़ा बना है उक्त नम्बर की दुरुस्ती के लिए गाटा सं०2590 के भूचित्र से जानिब द० से 0.1500 का रकबा काटकर क्रमश 2589 व 2559 के भूचित्र में 0.1370 व 0.0130 का भूचित्र शामिल कर दुरुस्ती की गयी गाटासं० 2388 व 2389 व 2390 व 2391 व

2392 व 2393 व 2394 व 2395 व 2396 व 2642व 2643 क्रमश सभी नम्बरान चक बाहर के नम्बर है उक्त नम्बरान का नया भूचित्र पुराने भूचित्र के विपरीत बना है नया गाटासं० 2391,2394,व क्रमश उत्तर तर फ 2394 द० तर फ 2391 बनाया जायेगा 2391 का सम्पूर्ण भूचित्र गाटासं० 2394 के भूचित्र में शामिल किया गया है गाटासं०



2394 के भूचित्र से गाटा सं० 2391 (0.1590 का भूचित्र गाटासं० 2395, 2643 के भूचित्र के बीच बनाया जायेगा नई गाटा सं० 2388 जिसका आकार पुराने भूचित्र से बड़ा बना दिया गया है उसकी दुरुस्ती के लिए नया गाटासं० 2388 के भूचित्र से जानिब द० से 0.0300 का भूचित्र काटकर गाटासं० 2392 के भूचित्र में शामिल किया

गया गाटासं० 2392 के भूचित्र से 0.0500 का भूचित्र काटकर गाटासं० 2393 के भूचित्र में शामिल किया गया नया गाटासं० 2391, 2395, 2397, 2642, 2643 के भूचित्र को भी मुताबिक पुराने बन्दोबस्त अनुसार दुरुस्त किया जो भूचित्र संशोधित संलग्न है।
ह०अ०र०का० 15.12.13 प्रमाणित ए०सी०ओ० 15.12.11 धारा 109

परवानासे

आदेश श्रीमान न्या०उपजिलाधिकारी सैदपुर मु०नं०31/ 10.2.2016 को आदेश हुआ कि आ०नं०2589/1.138हे० पर राजधारी सिंह महाविद्यालय द्वारा से प्रबन्धक रामा राजधारी सिंह नि०मिर्जापुर को अकृषिक घोषित किया जाता है एवं लगान मुक्त किया जाता है। ह०अ०र०का० 2.3.2016 धारा 143 परवाना से



					<p>आदेश श्रीमान तहसीलदार सैदपुर पक 23 दि018.02.2017 को आदेश हुआ कि खतीनी सन 1418 से 1423 फ0 के खातासं0 1325 पर दर्ज गु0न0 93/30.07.11 के आदेश में दर्ज आदेश रामधारी सिंह स्मारक महाविद्यालय मिर्जापुर द्वारा प्रबन्धक रामा पुत्र राजधारी नि0मिर्जापुर का नाम खारिज हो चुटिपूर्ण के स्थान पर सही आदेश राजधारी सिंह स्मारक महाविद्यालय मिर्जापुर द्वारा प्रबन्धक रामा पुत्र राजधारी नि0मिर्जापुर का नाम दर्ज हो। ह0अ0र0का0 18-2-2017</p> <p>आदेश श्रीमान तहसीलदार सैदपुर वाद संख्या शून्य दिनांक 25-10-2018 को आदेश हुआ कि ग्राम मिर्जापुर परगना बहरिखबाद तहसील सैदपुर के खाता सं01416 पर अशुद्ध नाम रामा व शिवपूजन व अशोक कुमार व अनिल कुमार पुत्र0रामधारी के स्थान पर शुद्ध व सही नाम रामा व शिवपूजन व अशोक कुमार व अनिल कुमार पु0ग0राजधारी नि0स्था0 का नाम दर्ज हो। ह0अ0र0का0 25-10-2018 धारा विविध प्रार्थना पत्र से</p>	
		5	4.9410	₹ 118.13	13	1

कुल गाटे- पाँच कुल क्षेत्रफल- नार दशमलव नौ चार एक शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - एक एक आठ दशमलव एक तीन रुपये

Data Digitally Signed by: SUDARSHAN SINGH YADAV



सदाम अधिकारी: HASNAIN ANWAR SHAHID

तहसील- सैदपुर जनपद- गाजीपुर

दिनांक एवं समय: 27-06-2022 02:11:04

यह उत्तरण खतीनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है एवं इसका डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उपरोक्त उत्तरण खतीनी का वेबसिकेयन <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।

